संख्या आर-11016/2/2015-पी0एण्ड सी0

भारत सरकार

उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

(उपभोक्ता मामले विभाग)

कृषि भवन, नई दिल्ली

दिनांक: 23 अगस्त, 2019

विषय: उपभोक्ता मामले विभाग के सम्बन्ध में मंत्रिमंडल के लिए जुलाई, 2019 माह के मासिक सारांश – के सम्बन्ध में।

*****

उपभोक्ता मामले विभाग के संबंध में **जुलाई, 2019** माह के लिए मंत्रिमंडल हेतु मासिक सारांश का अवर्गीकृत भाग इस पत्र के अनुलग्नक के रूप में सूचनार्थ संलग्न है।

आलोक 23.08.2019

(आलोक कुमार वर्मा)

निदेशक (पी0 एण्ड सी0)

दूरभाष नं0 ~~23381233~~ 23071149

<u>प्रति संलग्नकों सहित, ई-मेल द्वारा निम्नलिखित को अग्रेषित :-</u>

1. मंत्रिपरिषद के सभी सदस्य
2. पी.आई.ओ./सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, शास्त्री भवन, नई दिल्ली
3. उप-राष्ट्रपति जी के सचिव
4. मंत्रिमंडल सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय, राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली।
5. भारत सरकार के सचिव (संलग्न सूची के अनुसार)
6. अध्यक्ष, संघ लोक सेवा आयोग, धौलपुर हाऊस, नई दिल्ली
7. उपाध्यक्ष, नीति आयोग, योजना भवन, नई दिल्ली।
8. निदेशक (एन.आई.सी.), को विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
(उपभोक्ता मामले विभाग)

*****

उपभोक्ता मामले विभाग के माह-**जुलाई 2019** के महत्वपूर्ण कार्यकलाप निम्नलिखित हैं।

1. उपभोक्ता संरक्षण विधेयक, 2019

   उपभोक्ता संरक्षण विधेयक, 2019 लोक सभा द्वारा दिनांक 30.07.2019 को पारित किया गया था। इस विधेयक में ई-कॉमर्स के युग में उपभोक्ताओं को संवर्धित संरक्षण तथा उनकी शिकायतों को समय पर निपटाने की मांग की गई है।

2. विजन दस्तावेज :-

   विभाग की वार्षिक उप-योजनाओं के साथ पंचवर्षीय योजना को अन्तिम रूप दिया गया।, विभाग के महत्वपूर्ण कार्यकलापों के लिए निगरानी डैश-बोर्ड भी तैयार किया गया।

3. दालों तथा प्याज का बफर-स्टॉक :-

3.1 31.07.2019 की स्थिति के अनुसार, 20.50 लाख मीट्रिक टन के पुराने स्टॉक में से 20.43 लाख मीट्रिक टन का निपटान किया गया है। इसके अलावा 14.02 लाख मीट्रिक टन दाले कृषि सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग की मूल्य-समर्थन स्कीम (पी.एस.एस.) से पी.एस.एफ. बफर स्टॉक में अन्तरित/ पुन: आपूर्ति की गई है। 60,000 मीट्रिक टन के लक्ष्य हेतु प्याज का 56,689 मी. टन बफर स्टॉक महाराष्ट्र और गुजरात में अधिप्रापण के माध्यम से सृजित किया गया है।

3.2 जुलाई, 2019 माह के दौरान बफर स्टॉक के प्रबन्धन सम्बन्धी साप्ताहिक पुनरीक्षा की 5 बैठकें, आयोजित की गई थी।

3.3 दिल्ली में टमाटर की कीमतों में अचानक तेजी के कारणों पर चर्चा करने के लिए दो बैठकें आयोजित की गई थी और निम्नलिखित कार्रवाई चिन्हित की गई थी :-

(i) चूंकि मदर डेयरी बाजार का मूल्य-निर्धारक है, यह ग्रेड-ए. किस्म की बिक्री को कम कर सकता है/ 59/- रु0 कि.ग्रा. पर रोक सकता है और केवल टमाटर की कीमत को 40/- रु0 कि.ग्रा. तक बेच सकता है।

(ii) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की सरकार को व्यापारियों तथा जमाखोरों पर नियंत्रण रखना है और ए.पी.एस.सी. व्यापारियों को हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड से और अधिक लाने के लिए कहें।

3.4 राज्य/ संघ शासित क्षेत्र स्तरीय मूल्य स्थिरीकरण कोष (पी.एस.एफ.) प्रस्तावों की पुनरीक्षा करने और केन्द्रीय बफर स्टॉक से तूर और प्याज की खुदरा बिक्री के भविष्य का पता लगाने के लिए 22 जुलाई, 2019 को एक वीडियो-कान्फ्रेन्स आयोजित की गई।

3.5 वाणिज्य विभाग द्वारा अरहर के आयात पर क्यू.आर. में 2 से 4 लाख मीट्रिक टन की वृद्धि की गई।

4. भारतीय मानक ब्यूरो (बी. आई. एस.) :-

मसौदा भारतीय मानक ब्यूरो (प्रयोगशाला तकनीकी पदों के लिए भर्ती) विनियम की विधिक्षा अन्तत: विधायी विभाग द्वारा कर दी गई है और हिन्दी अनुवाद के लिए भेज दिए गए हैं।

स्वर्ण ज्वैलरी और शिल्प-उपकरण की हॉलमार्किंग को अनिवार्य करने के लिए, मसौदा गुणवत्ता नियन्त्रण आदेश (क्यू.सी.ओ.) पर हितधारकों के परामर्श के बाद निर्णय ले लिया गया है और डब्ल्यू.टी.ओ. की वेबसाइट पर इसे डालने के लिए वाणिज्य विभाग को भेज दिया गया है।

5. राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग (एन.सी.डी.आर.सी.) :-

राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने माह के दौरान निम्नलिखित महत्वपूर्ण निर्णय दिए :-

मैसर्स कन्ट्री कालोनाइजर्स प्रा.लि. बनाम 1. हरमीत सिंह अरोड़ा तथा अन्य

एन सी डी आर सी ने बिल्डर कन्ट्री कालोनाइजर्स प्रा.लि., मोहाली को लगभग 20 गृह क्रेताओं को परियोजना में विलम्ब के कारण गृह ऋणों के सदृश ब्याज दरों के साथ राशि वापिस करने के निर्देश दिए। तात्कालिक मामले में, लगभग 20 गृह-क्रेताओं ने बिल्डर की "वेव गार्डन" नामक आवासीय परियोजना में राशि का निवेश किया। बिल्डर ने परियोजना को 3 वर्ष में पूरा करने का वायदा किया था लेकिन 7 वर्ष के बाद भी परियोजना पूरी नहीं हुई थी। एन सीडीआरसी ने इसे बिल्डर की ओर से अनुचित व्यापार प्रथा का मामला मानते हुए बिल्डर को तदनुरुप अवधि के लिए गृह ऋणों के समान ब्याज दरों के साथ मूल राशि का भुगतान करने का निर्देश दिया।

पंकज आर टोपराणी तथा अन्य बनाम बम्बई अस्पताल तथा अनुसंधान और चिकित्सा:-

एक 73 वर्षीय रोगी, रणजीत टोपराणी को सिग्मौएड कोलोन के कारसिनोमा के लिए बम्बई अस्पताल में भर्ती किया गया था डाक्टर वागले ने रोगी की जॉच की और रोगी को सर्जरी जो डा. देसाई द्वारा की जानी थी, के लिए योग्य घोषित किया। ऑपरेशन के बाद रोगी को ब्रैडिकार्डिया अटैक पड़ गया और उसके बाद रोगी कोमा में चला गया। तत्पश्चात रोगी को वैंटीलेटर पर रखा गया था। रोगी अपनी चेतन अवस्था में कभी नहीं आया और अगले आठ माह तक अस्पताल में रहा उसके बाद उसे ऑक्सीजन कंसेंन्ट्रेटर की मदद से अचेतन तथा कायिक अवस्था में घर लाया गया। दो वर्ष के बाद रोगी का चेतन-अवस्था में आये बिना ही देहान्त हो गया। रोगी परिवार के सदस्यों ने, डाक्टरों की लापरवाही जिसके कारण रोगी को ब्रैडिकार्डिया अटैक पड़ गया और जिसके बाद रोगी कभी भी चेतनावस्था में नहीं आ सका, के लिए राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग (एन.सी.डी.आर.सी.) से सम्पर्क किया।

एन.सी.डी.आर.सी. ने यह नोट किया कि रोगी को ऑपरेशन के बाद ब्रैडिकार्डिया अटैक पड़ गया क्योंकि रोगी की सर्जरी के बाद उचित देखभाल नहीं की गई और जिसके कारण रोगी कोमा में चला गया। इस मामले को चिकित्सा लापरवाही का मामला मानते हुए, एन.सी.डी.आर.सी. ने अस्पताल को मुआवजे के रूप में 30,00,000 का भुगतान, करने का आदेश दिया और इसके अतिरिक्त दोनों डाक्टरों को रोगी के परिवार के सदस्यों को कुल 1,00,000 रु. का भुगतान करने के निर्देश दिये।

6. मंहगाई की वार्षिक दर के ब्यौरे निम्नानुसार हैं:

क्रम सं.	सूचकांक	मुद्रास्फीति दर (%)		
		जून, 2019 (अनन्तिम)	मई, 2019 (अनन्तिम)	जून, 2018 (अंतिम)
1	थोक मूल्य सूचकांक (वार्षिक)	2.02	2.45	5.68
2	थोक मूल्य सूचकांक (खाद्य वस्तुएं)	6.98	6.99	1.87
3	उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (औद्योगिक कामगार)	8.59	8.65	3.93
4	उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (संयुक्त)*	3.18	3.05	4.92
5	उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (उपभोक्ता खाद्य मूल्य सूचकांक)*	2.17	1.83	2.91

*:- श्रृंखला 2012=100 #: नया आधार वर्ष 2011-12=100

6. राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के सम्बन्धित नागरिक आपूर्ति विभागों द्वारा यथासंसूचित, पूरे देश के 109 केंद्रों से प्राप्त अखिल भारतीय मासिक औसत खुदरा मूल्यों के संबंध में जून, 2019 माह की तुलना में जुलाई, 2019 माह के मूल्य रूझान **अनुलग्नक-I** में दिए गए हैं।

7. मंत्रिमंडल सचिवालय को अन्य बिंदुओं के संबंध में सूचित की जाने वाली अद्यतन जानकारी **अनुलग्नक II** पर दी गई है।

अनुलग्नक -I

आवश्यक वस्तुओं के मूल्य – पिछले माह की तुलना में रूझान

राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के संबंधित नागरिक आपूर्ति विभागों द्वारा संसूचित, पूरे देश के 109 केंद्रों से प्राप्त 22 आवश्यक वस्तुओं के अखिल भारतीय मासिक औसत खुदरा मूल्यों को संकलित किया गया है और नीचे दिया गया है:-

आवश्यक वस्तुओं की अखिल भारतीय मासिक औसत खुदरा कीमतें

(रुपये/कि.ग्रा.)

क्रम संख्या	वस्तु	जुलाई, 2019 (अद्यतन)	जून,2019 (विगत) माह	अंतर (रुपये में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	चावल	32	32	0
2	गेहूं	27	26	1
3	आटा	28	28	0
4	चना दाल	66	66	0
5	तूर दाल	84	83	1
6	उड़द दाल	75	75	0
7	मूंग दाल	82	82	0
8	मसूर दाल	63	63	0
9	चीनी	39	38	1
10	दूध	43	43	0
11	मूंगफली का तेल	130	130	0
12	सरसों का तेल	110	109	1
13	वनस्पति	79	80	-1
14	सोया तेल	92	92	0
15	सूरजमुखी का तेल	100	99	1
16	पॉम ऑयल	75	75	0
17	गुड़	44	44	0
18	चाय खुली	213	213	0
19	नमक पैकबंद	15	15	0
20	आलू	19	18	1
21	प्याज़	21	19	2
22	टमाटर	37	36	1

स्रोत: राज्य नागरिक आपूर्ति विभाग

अनुलग्नक-II

उपभोक्ता मामले विभाग

1. दीर्घकालीन अंतर मंत्रालयी परामर्शों के कारण लंबित हुए महत्वपूर्ण नीतिगत मामले:

-कोई नहीं -

2. सचिवों की समिति के निर्णयों का अनुपालन :**ई-समीक्षा पोर्टल पर अद्यतन कर दिया गया है।**

3. तीन माह से अधिक समय से लम्बित 'अभियोजन के लिए स्वीकृत' मामलों की संख्या:

शून्य

4. ऐसे मामलों का विवरण जिनमें सरकार के कार्य व्यापार नियमों अथवा स्थापना नीति से विपथन हुआ है:

शून्य

5 . ई-गवर्नेंस के कार्यान्वयन की स्थिति:

फाइलों की कुल संख्या	ई-फाइलों की कुल संख्या
262	**231**

6. लोक शिकायतों की स्थिति:

जुलाई , 2019 माह में निपटाई गई लोक शिकायतों की संख्या	**जुलाई 2019** माह के अन्त में लम्बित लोक शिकायतों की संख्या
1174	**812**

7. राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन पर पंजीकृत शिकायतों की स्थिति

जुलाई, 2019 माह के दौरान, राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन पर पंजीकृत डॉकेटों की कुल संख्या	**जुलाई, 2019** माह के अंत तक निपटाए गए कुल डॉकेटों की संख्या
69420	***46717***

उपभोक्ता मामले विभाग का मूल्य निगरानी कक्ष पूरे देश के 109 केन्द्रों से 22 आवश्यक वस्तुओं की खुदरा एवं थोक कीमतों की दैनिक आधार पर मॉनीटरिंग करता है। ये कीमतें राज्य नागरिक आपूर्ति विभागों द्वारा दैनिक आधार पर मुख्यत: ऑनलाइन तरीके से रिपोर्ट की जाती हैं। इन कीमतों को तत्काल ही विभाग की वेबसाइट के माध्यम से प्रसारित किया जा रहा है। कीमतों की ऑनलाइन रिपोर्टिंग के कारण कीमतों की रिपोर्टिंग और उनके प्रसारण में कम समय लगता है। इसी प्रकार, उपभोक्ता शिकायतों के लिए राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन तथा उपभोक्ता मंचों के मामलों के लिए कानफोनेट का प्रयोग डिजिटल पोर्टल के रूप में विस्तृत रूप से किया जा रहा है।

****